

भारत में दलीय व्यवस्था: राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय

प्रदोष कुमार

भारत में लोकतंत्र में राजनीतिक दल राजनैतिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग बन चुके हैं। दलीय व्यवस्था के अभाव में लोकतंत्र शासन व्यवस्था का क्रियान्वयन असंभव प्रतीत होता है। राजनीतिक दल राजनीतिक प्रक्रिया को जोड़ने सरल और सुगम बनाने का एक माध्यम है। भारतीय दलीय व्यवस्था को बहुदलीय व्यवस्था का नाम देना अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर जनता सरकार के गठन तक देश एक दल की प्रधानता वाली बहुदलीय व्यवस्था के स्वरूप को दर्शाता हुआ प्रतीत होता है। भारतीय राजनीति के समीक्षकों द्वारा चौथे एवं पांच में दशकों में यह विचार व्यक्त किया गया कि भारतीय राजनीति में एक दल की प्रधानता का युग समाप्त हो चुका है।

भारतीय दलीय व्यवस्था सदैव जाति, संस्कृति, भाषा और व्यक्तित्व के से प्रभावित रही है। लगभग हर दल किसी न किसी व्यक्ति विशेष से प्रभावित रहा है। पिछले कुछ वर्षों में धर्म, हिंसा और अपराध का योगदान देखने को मिला है। जिसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक प्रणाली का सांप्रदायिककरण हो रहा है। आंतरिक गुटबाजी ने दलीय प्रणाली के अनुसार प्रश्न चिह्न लगाया है जो इसके स्वरूप में बदलाव ला रहा है।

भारत में उदित एवं निरंतर बदलती दलीय व्यवस्था अपने आप में निराली है। भारत में सामाजिक, आर्थिक बदलाव में विभिन्न प्रकार की

दलीय व्यवस्था का सूत्रपात किया है। भारत की विशाल जनसंख्या में भाग संस्कृति अनेकता और संघीय स्वरूप निरंतर बदलाव की संभावना झुकाता रहा है। विभिन्न विद्वानों द्वारा राजनीतिक दलों को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है।

लॉर्ड ब्राइस के अनुसार, 'जनमानस विभिन्न विचारधाराओं का योग है विचारों का परस्पर विरोध एवं प्रतिपादन होता है। समानता समाज के महत्वपूर्ण प्रश्न पर यदि पूर्ण नहीं तो कम से कम कुछ लोग सामान्य दृष्टिकोण रखते हैं तथा कुछ उनके विरोधी होते हैं इन्हीं समूहों एवं संगठित लोगों से राजनीतिक दल का निर्माण होता है।'

एडमंड वर्क ने राजनीतिक दल को प्रभास परिभाषित करते हुए कहा है कि 'राजनीतिक दल कुछ लोगों का समूह है जो कुछ सिद्धांतों पर सहमत होकर अपने संयुक्त प्रयासों द्वारा जनहित को आगे बढ़ाने के लिए संगठित रहता है'।

गिल क्राइस्ट राजनीतिक दल नागरिकों को संगठित समुदाय को कहते हैं ' दल के सदस्य समान राजनीतिक विचार रखते हैं और एक राजनीतिक इकाई के रूप में काम करते हुए शासन को अपने हाथ में रखने की कोशिश करते हैं।'

मैकइवर के अनुसार, राजनीतिक दलों व समुदाय है जो किसी विशेष सिद्धांत या नीति के समर्थन के लिए संगठित किया गया हो और जो संवैधानिक उपायों से उस सिद्धांत अथवा नीति को शासन का आधार बनाने की कोशिश करता है।'

राजनीतिक दलों का वर्गीकरण:- एलेन बॉल ने रचनात्मक एवं संख्यात्मक आधारों पर दलों का वर्गीकरण निम्नलिखित वर्गों में किया है

- अस्पष्ट दो दल पद्धति
- स्पष्ट दो दल पद्धति
- कार्यवाह बहुदलीय पद्धति
- अस्थिर बहुदलीय पद्धति
- प्रभावी दल पद्धति
- एकदलीय पद्धति
- सर्वाधिकारी दलीय पद्धति

राजनीतिक दलों के कार्य

लोकतंत्रीय शासन के लिए राजनीतिक दलों का अस्तित्व अनिवार्य है। राजनीतिक दलों द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किए जाते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं:-

1. सार्वजनिक नीतियों को का निर्धारण: राजनीतिक दल जनता का समर्थन पाने के लिए अपनी नीतियों और योजनाओं का प्रचार करते हैं वे जनता को राजनीतिक आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराते हैं। प्रोफेसर लास्की के शब्दों में 'आधुनिक राज्यों के क्रांति पूर्ण वातावरण में समस्याओं का चयन

करके यह आवश्यक है कि वरीयता के आधार पर कुछ को अत्यंत शीघ्र निपटाने के लिए जाना चाहिए और उनके निदान जनता की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करने चाहिए उनका यह कार्य राजनीतिक दलों के द्वारा ही किया जाता है।'

2. शासन की आलोचना:- निर्वाचन में जिस दल को बहुमत प्राप्त ना हो तो वह विपक्ष के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विपक्ष के रूप में उसका यह कर्तव्य है कि वह शासन को सचेत रखें सरकार की रचनात्मक आलोचना करके वैकल्पिक नीतियां प्रस्तुत करें। विपक्षी दल शासन की कमजोरियों को जनता के सामने रखकर उसके विरुद्ध जनमत तैयार करते हैं।

3. शासन संचालन :-राजनीतिक दल चुनाव में विजय प्राप्त करके सरकार का निर्माण करते हैं। अपने दल में से ही मंत्री नियुक्त करते हैं तथा अलग-अलग तरीकों से अपने घोषणापत्र के वायदों को पूरा करने का प्रयास करते हैं।

4. जनमत निर्माण:- शासित व्यक्तियों की सहमति से सत्ता का प्राधिकार अर्जित करना है शासन की नीतियों पर जनमत प्राप्त करना है राजनीतिक दल के लिए अपरिहार्य है। इनकी अनुपस्थिति में जन समुदाय एक दिशाहीन भीड़ के अतिरिक्त और कुछ ना होगा। लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में, 'लोकमत को प्रशिक्षित करके उसके निर्माण और अभिव्यक्ति में राजनीतिक दलों के द्वारा अत्यधिक महत्वपूर्ण काम किया है।'

5. चुनावों का संचालन:- राजनीतिक दलों से ही चुनावों की सार्थकता प्रकट होती है। वे चुनाव के समय अपने चुनाव घोषणा पत्र तैयार करते हैं। उसका प्रचार करते हैं प्रत्याशियों को खड़ा करने तथा हर तरीके से चुनाव जीतने का प्रयत्न करते हैं।

6. शासन और जनता के बीच मध्यस्थ के रूप में:- राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच मध्यस्थता की एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। वे जनता की समस्याओं और आकांक्षाओं को सरकार के सामने रखते हैं सरकार की स्थिति से जनता को समय-समय पर अवगत कराते हैं।

7. राजनीतिक प्रशिक्षण :-राजनीतिक दलों के प्रचार से नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। उन्हें समस्याओं के विभिन्न पहलुओं का पता लगता है। इस प्रकार से नागरिकों में राजनीतिक चेतना जागृत होती है।

8. सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य:- राजनीतिक दल जनता के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को बेहतर बनाने का भी कार्य करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के युग में कांग्रेस ने हरिजन कल्याण तथा स्त्री उद्धार संबंधी बहुत सारे कार्य किए थे।

9. दलीय कार्य:- प्रत्येक राजनीतिक दल कतिपय दल संबंधी कार्य करता है मतदाताओं को दल का सदस्य बनाना, सार्वजनिक सभाओं का आयोजन करना, दल के लिए चंदा इकट्ठा करना इत्यादि कार्य करते हैं।